रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04122021-231601
SG-DL-E-04122021-231601

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 365]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 292

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

सं.फा.डीपीसीसी/ईआईए/विविध/09/खंड–IV/5859-5885.—जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (ई) के अनुसरण में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु–परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3631 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), दिल्ली का गठन किया है और उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श से केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), दिल्ली का भी गठन किया है।

(2) और जबकि, दिनांक 06 सितंबर, 2021 की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की प्रभावी कार्य–प्रणाली हेतु सचिवालय प्रकार्यों के निष्पादन तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), दिल्ली को अधिसूचित करती है।

(3) अब, इसलिए, दिनांक 6 सितंबर 2021 की उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3631 (ई) के पैरा 10 और 11 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा आईएसबीटी बिल्डिंग चौथी और पांचवीं मंजिल, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 पर स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), दिल्ली

तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), दिल्ली के सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में समस्त वित्तीय और रसद सहायता, आवास, परिवहन सहित सभी अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तथा सचिवालय के रूप में कार्य करने वाली एजेंसी के रूप में अधिसूचित करती है।

(4) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईएए) दिल्ली और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सीईसी), दिल्ली के अध्यक्षों एवं सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। इसके प्रयोजनार्थ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति शीघ्र पृथक आदेश जारी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd December, 2021

No.F.DPCC/EIA/MISC/09-Vol-IV/5859-5885.—WHEREAS in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India, Notification number S.O. 1533 (E) dated 14 September 2006, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Delhi vide Notification number S.O 3631 (E) dated 6 September 2021 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi has constituted the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi as well;

2. AND WHEREAS in pursuance of the above referred Notification dated 6 September 2021, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after the Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi constituted for the National Capital Territory of Delhi under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of paras 10 and 11 of the said Notification No. S.O 3631 (E) dated 6 September 2021, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), situated at ISBT Building, 4th & 5th floor, Kashmere Gate, Delhi-110006, as the Agency to act as Secretariat and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall arrange to pay sitting fee, traveling allowance and dearness allowance to the Chairmen and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose, Delhi Pollution Control Committee will issue a separate order expeditiously.

By Order And In the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory Of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (Environment, Forests and Wildlife)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.12.04 11:25:58 +05'30'